



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

कमांक:-एफ 37(16)परावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्था.पद./07/2022/2469

जयपुर दिनांक
14/9/2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद- जयपुर, सिरौही, झुंझुनूं,
सीकर, बीकानेर, अलवर, डूंगरपुर।

विषय:- कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश जारी करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके अधीन पंचायत समितियों/जिला परिषदों में कार्यरत निम्न कार्मिकों का स्थानान्तरण निर्देशित स्थान पर कर अवगत करावें।

क्र. सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	पद	कहा से	कहा को
1	पूनम गुर्जर	कनिष्ठ सहायक	पं.स. झोटवाडा जयपुर से पं.स. जोबनेर स्थानान्तरणाधीन	पं.स. जालसू, जयपुर
2	रूपाराम	कनिष्ठ सहायक	ग्रा.प. सुरपगला पं.स. आबूरोड, सिरौही	ग्रा.प. वरली पं.स. पिण्डवाडा, सिरौही
3	अनिल कुमार	कनिष्ठ सहायक	पं.स. बुहाना, झुंझुनूं से पं.स. उदयपुरवाटी, झुंझुनूं स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत
4	मंजू आर्य	कनिष्ठ सहायक	आदेशों की प्रतीक्षा में	पं.स. पिपलाली, सीकर
5	भागीरथ सिंह	कनिष्ठ सहायक	ग्रा.प. देराजसर पं.स. श्रीडूंगरगढ, बीकानेर	ग्रा.प. सूडसर पं.स. श्रीडूंगरगढ, बीकानेर
6	मदन मोहन अग्रवाल	सहा. प्रशा. अधिकारी	जिला परिषद अलवर	पं.स. कठूमर, अलवर
7	कजोड मल बैरवा	कनिष्ठ सहायक	पं.स. चाकसू, जयपुर	पं.स. कोटखावदा, जयपुर
8	धीरज जोशी	कनिष्ठ सहायक	पं.स. दोवडा से पं.स. चिखली, डूंगरपुर स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

1. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से है।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/ अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है। तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक की परीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
4. यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।
5. यदि कोई कार्मिक निलंबित चल रहा है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।

(डॉ. सैनक बैरागी)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(I)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपंरावि।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्राविपंरावि।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, ग्राविपंरावि जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय, पंचायती राज विभाग जयपुर।
6. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सम्बन्धित।
7. सम्बन्धित कार्मिक को पालनार्थ।
8. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-1